

Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या :- 17-आवंटन(योजना -0101)-126/2020.....10349..

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्ता-सह- बन्दोबस्त पदाधिकारी,
मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, सुपौल, किशनगंज, नालंदा,
जमुई, बांका, शिवहर, अरवल, जहानाबाद, सीतामढी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया),
पटना, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णियाँ, अररिया, कटिहार, भोजपुर (आरा),
पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), वैशाली, भागलपुर, सारण, सिवान, गया, दरभंगा एवं मुजफ्फपुर।
प्राचार्य,

राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया।

सहायक निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक : 21-07-2020

विषय :-

मुख्य शीर्ष - 2029 - भू-राजस्व - उप मुख्य शीर्ष - 00 - लघु शीर्ष - 102 - सर्वेक्षण
तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष - 0101 - सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के
अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु आपके नियंत्रणाधीन कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों (संविदा कर्मियों सहित) को वेतन एवं संविदा सेवाएँ मद् में 3,76,31,300/- (तीन करोड़ छियत्तर लाख एकतीस हजार तीन सौ) रुपये मात्र का आवंटन निर्गत किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 314 दिनांक 27.02.2019 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
3. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड 40 - 2029001020101 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
5. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक नियमित रूप से निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गए विहित प्रपत्र में भेजना सुनिश्चित किया जाए।
6. बिहार वित्तीय नियामवली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।
7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. इसकी सूचना महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।
10. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
11. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

अनुलग्नक :- 'क'

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना -0101)-126/2020...10349... पटना, दिनांक 21-07-2020

प्रतिलिपि :- (अनुलग्नक सहित) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना -0101)-126/2020...10349... पटना, दिनांक 21-07-2020

प्रतिलिपि :- (अनुलग्नक सहित) सभी संबंधित प्रभारी पदाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना -0101)-126/2020...10349... पटना, दिनांक 21-07-2020

प्रतिलिपि :- (अनुलग्नक सहित) संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना -0101)-126/2020...10349... पटना, दिनांक 21-07-2020

प्रतिलिपि :- (अनुलग्नक सहित) सुश्री सुरभि सिंह, डाटा एनालिस्ट, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

अनुलग्नक 'क'

भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना।

मुख्य शीर्ष - 2029 - भू-राजस्व - उपमुख्य शीर्ष - 00 - लघु शीर्ष - 102 - सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उपशीर्ष - 0101 - सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में निधि का आवंटन :-

क्र० सं०	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	01 01 वेतन	01 03 जीवन यापन भत्ता	01 04 मकान किराया भत्ता	01 05 परिवहन भत्ता	01 06 चिकित्सा भत्ता	28 02 सविदा सेवाएँ	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मुंगेर	900000	189000	45000	25000	12000	1900000	3071000
2	शेखपुरा	900000	189000	45000	25000	12000	800000	1971000
3	लखीसराय	900000	189000	45000	25000	12000	1600000	2771000
4	बेगूसराय	900000	189000	45000	25000	12000	600000	1771000
5	सुपौल	900000	189000	45000	25000	12000	360000	1531000
6	किशनगंज	900000	189000	45000	25000	12000	320000	1491000
7	नालंदा	900000	189000	45000	25000	12000	4000000	5171000
8	जमुई	900000	189000	45000	25000	12000	180000	1351000
9	बाँका	900000	189000	45000	25000	12000	0	1171000
10	शिवहर	900000	189000	45000	25000	12000	0	1171000
11	अरवल	900000	189000	45000	25000	12000	0	1171000
12	जहानाबाद	900000	189000	45000	25000	12000	0	1171000
13	सीतामढ़ी	900000	189000	45000	25000	12000	0	1171000
14	पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	900000	189000	45000	25000	12000	0	1171000
15	पटना	750000	157500	37500	25000	12000	180000	1162000
16	खगडिया	150000	31500	15000	5000	12000	1100000	1313500
17	सहरसा	150000	31500	15000	5000	12000	360000	573500
18	मधेपुरा	150000	31500	15000	3000	12000	360000	571500
19	पूर्णियाँ	150000	31500	15000	3000	12000	180000	391500
20	अररिया	150000	31500	15000	5000	12000	180000	393500
21	कटिहार	150000	31500	15000	2000	12000	180000	390500
22	भोजपुर (आरा)	150000	31500	15000	2000	12000	0	210500
23	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	150000	31500	15000	5000	12000	180000	393500
24	वैशाली	30000	6300	3000	1000	4000	0	44300
25	भागलपुर	150000	31500	15000	4000	12000	180000	392500
26	सारण	150000	31500	15000	4000	12000	3300000	3512500
27	सिवान	150000	31500	15000	2000	12000	180000	390500
28	गया	150000	31500	15000	2000	12000	180000	390500
29	दरभंगा	150000	31500	15000	2000	12000	180000	390500
30	मुजफ्फरपुर	50000	10500	5000	1000	4000	180000	250500
31	राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया	200000	42000	20000	2000	12000	0	276000
32	सहायक निदेशक भू-अभिलेख एवं परिमाण	300000	63000	48000	3000	16000	0	430000
कुल योग :-		15880000	3334800	938500	426000	372000	16680000	37631300

(तीन करोड़ छियतर लाख एकतीस हजार तीन सौ रूपये मात्र)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण